न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
05.11.2024	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रतिवादी की तामील असालतन होकर लौटी है. बावजूद तामील के हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। वकील वादी ने फर्द दस्तावेजात किता–6 पेश किए. जो शामिल पत्रावली किए गए। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 25.11.2024 को पेश हों। (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
25.11.2024	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील वादीगण एकपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 28.11.2024 को पेश हों। (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
28.11.2024	पत्रावली वास्ते आदेश/निर्णय हेतु पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण में बहस पूर्व में सुनी जा चूकी है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादी द्वारा प्रस्तु[illegible] को स्वीकार किया जाता है। [illegible] डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद त[illegible]ल दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:47:29 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
203 / 2023	2023 / 369	19.12.2023	28.11.2024

उनवान प्रकरण

1. प्रकाश पुत्र रामचन्द्र
2. अशोक पुत्र रामचन्द्र

समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0

---वादीगण

बनाम्

1. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राज0)

–प्रतिवादी

उपस्थित :–

1. श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका, एड0 वादीगण अभिभाषक।

2. सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी की ओर से।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:47:29 IST
Reason: SelfAttested

वादपत्र बाबत् उद्घोषणा एवं दुरुस्ती रिकार्ड
(अन्तर्गत धारा 88, राज. काश्त. अधि. 1955)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

-:: निर्णय ::-

संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय से प्रस्तुत किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 3310 लगायत 3322, 3325, 3327 लगायत 3334 कुल किता 22 कुल रकबा 7.90 हैक्टर तन ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन जिला नीमकाथाना राज0 में अवस्थित है जिसके वादीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार काबिज खातेदार काश्तकार है। वादीगण को अपने गांव, समाज बिरादरी में (छोटे रूप में) आम बोलचाल की भाषा में वादी नम्बर 1 को लखवीर व वादी नम्बर 2 को सुरेश के नाम से पुकारते है और लखवीर व प्रकाश एक ही व्यक्ति वादी नम्बर 1 के नाम है एवं सुरेश एवं अशोक एक ही व्यक्ति वादी वादी नमबर 2 के नाम है। जबकि समस्त शैक्षणिक रिकार्ड एवं अन्य सरकारी दस्तावेजो मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड आदि सभी में वादी नम्बर 1 का नाम प्रकाश एवं वादी नम्बर 2 का नाम अशोक ही दर्ज है और इस प्रकार उक्त कृषि भूमियों के राजस्व अभिलेख (खतौनियों) में खातेदारी मे वादी नम्बर 1 का नाम लखवीर एवं वादी नम्बर 2 का नाम सुरेश अंकित है जबकि अन्य समस्त दस्तावेजो में वादी नम्बर 1 का नाम प्रकाश एवं वादी नम्बर 2 का नाम अशोक होने से नाम में भिन्नता होने से आपस में मेल नही खाता है। जिससे वादीगण को अलग व्यक्ति समझा जाता है और वादीगण का नाम राजस्व अभिलेख में एव अन्य समस्त सरकारी रिकार्ड दस्तोवजो में भिन्नता होने से वादीगण सभी सरकारी सुविधिाओं से वचित रह जाते है जिससे वादीगण को काफी परेशानी होती है और भविष्य मे भी वादीगण के गम्भीर विधिक अडचने उत्पन्न होने की संभावनाएं सदैव बनी रहती है। इसलिए उक्त वादग्रस्त कृषि भूमियों के राजस्व अभिलेख खतौनियो में वादीगण सही रूप से अंकित किया जाकर राजस्व अभिलेख खतौनी में दुरूस्ती किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमियों के राजस्व अभिलेख

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:47:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

खतौनियो मे वादीगण का नाम सही रूप से अंकित किये जाने में ही वादीगण सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ ले सकेगा। वादीगण ने अपनी उक्त कृषि भूमियों पर कृषि ऋण कार्ड बनाने हेतु पटवारी हल्का से संपर्क करने पर वादीगण को उक्त राजस्व अभिलेख खतौनियो मे वादीगण के नाम गलत अंकन होने की जानकारी हुई। जिस पर वादीगण ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त कृषि भूमियों के राजस्व अभिलेख खतौनियों में अपना नाम दुरूस्त कराने बाबत निवेदन किया परन्तु तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा स्पष्ट रूप से इंकार कर न्यायालय में चाराजोही करने बाबत कहने पर वादीगण को न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 3310 लगायत 3322, 3325, 3327 लगायत 3334 कल किता 22 कुल रकबा 7.90 हैक्टर तन ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन जिला नीमकाथाना राज0 के 1/2 हिस्से के राजस्व रिकार्ड में वादी नम्बर 1 का नाम लखवीर के स्थान पर प्रकाश पुत्र रामचन्द्र व वादी नम्बर 2 का नाम सुरेश के स्थान पर अशोक पुत्र रामचन्द्र सही संशोधन कर उद्घोषित किया जावे। इस प्रकार से वाद में सन्दर्भित कृषि भूमियों के राजस्व अभिलेख खतोनियो में इसी भांति नाम की दुरूस्ती हेतु प्रतिवादी तहसीलदार को आदेश फरमाया जाने का निवेदन अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में किया गया है।

इस पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये साधारण तरीके से सम्मन नोटिस के तलब किया गया। प्रतिवादी तामील असालतन तरीके से होकर लौटी है, बावजूद तामील हाजिर अदालत नही आने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण मे तहसीलदार श्रीमाधोपुर से पत्रांक कमांक/भू.अ./24[illegible]43 [illegible]नांक 23.02.2024 द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। साक्ष्य वादीगण के [illegible] अशोक पुत्र रामचन्द्र व वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:47:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

साक्ष्य गवाह में मूलाराम गुर्जर पुत्र मांगूराम व रामेश्वरलाल गूर्जर पुत्र फूलाराम गुर्जर के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किए गए। प्रकरण में प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो जाने व साक्ष्य हो जाने से प्रकरण को बहस में लिया गया। प्रकरण को बहस हेतु लिये जाने पर वकील वादीगण ने प्रकरण में बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकील वादीगण की बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादीगण की बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 की, तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त रिपोर्ट, वादी संख्या- 1 का आधार कार्ड, आयकर प्रमाण पत्र, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पासबुक की फोटोप्रति, वादी संख्या– 2 के आधार कार्ड, आयकर प्रमाण पत्र, मतदाता फोटो पहचान पत्र एवं साक्ष्य वादी के मुख्य परीक्षण में पेश वादी अशोक पुत्र रामचन्द्र व वादी साक्ष्य गवाह में मूलाराम गुर्जर पुत्र मांगूराम व रामेश्वरलाल गूर्जर पुत्र फूलाराम गूर्जर के लिखितशुदा शपथ पत्र इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 3310 लगायत 3322, 3325, 3327 लगायत 3334 कुल किता 22 कुल रकबा 7.90 हैक्टर तन ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन जिला नीमकाथाना राज0 के 1/2 हिस्से के राजस्व रिकार्ड में वादी नम्बर 1 का नाम लखवीर के स्थान पर प्रकाश पुत्र रामचन्द्र व वादी न[illegible] 2 [illegible] नाम सुरेश के स्थान पर अशोक पुत्र रामचन्द्र वकील वादी द्वारा पेश [illegible]टतः प्रकट होता है। जिसके खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:47:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

अधिकारों की घोषणा किये जाने हेतु उक्त वादपत्र को प्रस्तुत किया जाना प्रकट होता है। प्रतिवादी को जरिये साधारण तरीके से सूचना भिजवाये जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने से यह स्पष्ट होता है कि उक्त वादग्रस्त आराजी भूमियों पर प्रतिवादी का कोई कब्जा काश्त इत्यादि नहीं है तथा उक्त वादग्रस्त भूमियों पर वादीगण ही काबिज काश्त है। यदि प्रतिवादी को किसी प्रकार की हकतलफी होती तो वे न्यायालय से जारी सम्मनों के आधार पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जरिये असालतन या वकालतन चाराजोही कर सकते थे परन्तु प्रतिवादीगण के द्वारा ऐसी कोई चाराजोही न्यायालय में नहीं की गई है। जिससे यह प्रतित होता है कि उक्त वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में अंकित तथ्यों से प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र की साक्ष्य वादी के मुख्य परीक्षण में वादीगण अशोक पुत्र रामचन्द्र व वादी साक्ष्य गवाहान् में मूलाराम गुर्जर पुत्र मांगूराम व रामेश्वरलाल गूर्जर पुत्र फूलाराम गूर्जर के लिखितशुदा शपथ पत्र से वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में अंकित तथ्यों को बल मिलता है। वादीगण को उक्त भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाने हेतु वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:47:29 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वा[illegible] वाद बाबत उद्घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि 3310 लगायत 3322, 3325, 3327 लगायत 3334 कल किता 22 कुल रकबा 7.90 हैक्टर तन ग्राम झाडली

उपखण्ड कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन जिला नीमकाथाना राज0 के 1/2 हिस्से के खातेदारी में वादी नम्बर 1 का नाम लखवीर के स्थान पर प्रकाश उर्फ लखवीर पुत्र रामचन्द्र व वादी नम्बर 2 का नाम सुरेश के स्थान पर अशोक उर्फ सुरेश पुत्र रामचन्द्र को इस आधार पर उद्घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जाता है एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर को उक्तानुसार भूमि के राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:47:29 IST
Reason: SelfAttested